भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **478**

दिनांक 06 दिसंबर,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एलजीडी

+478. श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः
श्री देवजी पटेलः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री दिलीप शइकीयाः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रयोगशाला में निर्मित हीरे (एलजीडी) के उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मशीनरी घटकों और बीजों के उत्पादन हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की योजना बना रही है:
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ कटे और पॉलिश किए गए एलजीडी के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को किफायती लागत पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): प्रयोगशाला में निर्मित हीरों के उत्पादन में प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास को 5 वर्षों की अवधि में 242.96 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अनुसंधान परियोजना सौंपी गई है।

इन्सेंट-एलजीडी पर अनुसंधान परियोजना अपने प्रारंभिक चरण में है। परियोजना पूरी हो जाने के बाद, रत्न और आभूषण क्षेत्र में स्टार्टअप्स विकसित प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं। एलजीडी पर इनपुट लागत को कम करने के लिए, प्रयोगशाला में निर्मित अपरिष्कृत हीरे के निर्माण में उपयोग के लिए सीड्स पर सीमा शुल्क को दो साल की अवधि के लिए 5% से घटाकर "शून्य" कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात किए गए हीरे सही ढंग से वर्गीकृत किए गए हैं, प्राकृतिक हीरे से सोने, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों में जड़े एलजीडी पत्थरों और एलजीडी पत्थरों को अलग करने और पहचान करने के लिए पृथक एचएस कोड की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इन सभी उपायों से तराशे और पॉलिश किए गए एलजीडी के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

*****